भा.क.नि.
C.C.I.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD
(भारत सरकार का उपक्रम/A Government of India Undertaking)
"कपास भवन" एस. सी. ओ. 7-11, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बरनाला रोड,सिरसा-125055
Website:www.cotcorp.org.in Email:sirsa@cotcorp.com MinistWebsite:www.texmin.gov.in

सूचना का अधिकार

शोर्ट टर्म निविदा सूचना

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय–सिरसा में अक्टूबर **2020 से सितम्बर 2021 तक** की अवधि के लिए दिन प्रतिदिन आधार पर भाडे पर टैक्सी की आवश्यकता है अतः इच्छुक पंजीकृत ट्रैवल्स एजेन्सी से मोहर बंद निविदाएँ आमंत्रित करता है। टेण्डर देने वाली पार्टी के पास PAN नंबर का होना आवश्यक है। निर्धारित निविदा फार्म नियम एवं शर्तों के साथ शाखा कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में दिनांक 08/10/2020 दोपहर 05.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा संबंधी सूचना, निविदा फार्म, नियम एवं शर्तों की पूर्ण जानकारी हमारे वेबसाइट (www.cotcorp.org.in) एवं गवर्नमेन्ट टेन्डर पोर्टल (www.eprocure.gov.in) पर भी उपलब्ध है । निविदाकर्ता को पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर ''टैक्सी निविदा'' स्पष्ट रूप से अंकित कर शाखा प्रबंधक के नाम उपरोक्त पते पर दिनांक 09/10/2020 को दोपहर 11:00 बजे तक पहुॅचना आवश्यक है । उपरोक्त निर्धारित अवधि एवं समय तक प्राप्त हुई निविदा उसी दिन सायं 12:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी ।

निगम कोई भी कारण बताए बिना किसी भी टेण्डर को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार, अस्वीकार एवं रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।

उप महाप्रबंधक

टैक्सी भाडा संबधी नियम एवं शर्ते

1.	ट्रेव्हल्स एजेन्सी के पास PAN नंबर होना आवश्यक है। PAN कार्ड की प्रति टेन्डर फार्म के साथ संलग्न की जानी है।
2.	GST NO. (tick any one) YES / NO
3.	टैक्सी भाडा दर प्रति कि.मी. ए.सी. एवं नॉन ए.सी. के लिए सुचित करना होगा ।
4.	ट्रैवल्स एजेन्सी द्वारा निगम के अधिकारीयो द्वारा दूरभाष पर `सूचना प्राप्त होने पर अविलंब टैक्सी उपलब्ध करानी होगी ।
5.	निगम को उपलब्ध करवाई जाने वाली टैक्सी अच्छी कंडीशन में एवं सभी प्रकार के इंश्योरेंस सहित होनी चाहिये ।
6.	दरे दिनांक 09/10/2020 से 30/09/2021 तक वैध रहेगी एवं वर्ष के मध्य में भाडे में कोई बढोतरी नही की जाएगी। सिरसा से बाहर जाने पर प्रतिदिन कम से कम 200 कि.मी. गाडी रनिंग का भाडा देय होगा।
7.	बिल के साथ संलग्न ड्राईवर स्लिप में यात्रा आरंभ करने के कि.मी. /दिनांक तथा यात्रा समाप्ति के कि.मी./दिनांक सहित निगम के अधिकारी/अतिथि अथवा टैक्सी उपयोग करने वाले के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये | बिल के में यात्रा आरंभ एव समाप्ति तक के कि.मी. मान्य होंगे |
8.	ट्रैवल्स एजेन्सी द्वारा अच्छी कंडीशन वाली टैक्सी उपलब्ध करानी होगी । यदि टैक्सी रास्ते में ब्रेक डाउन होती है तो टैक्सी छोडने पर कोई भाडा देय नही बनेगा लेकिन ऐसी स्थिति में उच्च दर में टैक्सी किराये पर लिये जाने पर दर के अंतर एवं भाडे की राशि न्युनतम दर सुंचित करने वाले के बिल में कटौती आपसे की जाऐगी ।
9.	टैक्सी प्रवास के दौरान टोल-टैक्स, पार्किंग इत्यादि खर्च का भुगतान आपको करना होगा जिसकी बाद में बिल के साथ रसीद प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा | इसके उपरान्त अन्य कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा |
10	निर्धारित दर के अलावा अन्य कोई भी राशि निगम द्वारा देय नही होगी ।
11	उपरोक्त के अलावा अन्य कोई भी शर्त मान्य नही होगी ।
12	उपरोक्त सभी नियम एवं शर्ते टेन्डर फार्म का भाग है।
13	निगम किसी भी टेण्डर को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार, अस्वीकार एवं रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है |
14	टैक्सी का मॉडल 2016 से पुराना नहीं होना चाहिये अर्थात गाड़ी 4 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये |
15	कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान पेट्रोल/डीजल के भाव में बदलाव के कारण टैक्सी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा |
16	पार्टी को निगम की मांग अनुसार एक ही समय पर एक से अधिक गाड़ियॉं भी तय की गई दरों पर उपलब्ध करानी होगी।
18	इनमें दी गई किसी भी शर्त का पार्टी द्वारा उल्लंघन करने पर निगम को यह अधिकार होगा कि वह तीन दिन का लिखित नोटिस देकर इस कांट्रेक्ट को समाप्त कर दे नियमों के उल्लंघन के कारण यदि निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि भी आपसे वसूल की जायेगी।
19	दो से अधिक पार्टी की दर समान पाई जाती है तो उन्हीं पार्टियों से पुन बंद लिफाफे में निश्चित समयावधि में भाव आमंत्रित किये जायेंगे जिसमें न्यूनतम दर देने वाली पार्टी को कार्य आदेश दिया जायेगा। यदि पुन मांगे गये भाव भी समान पाये जाते हैं तो उस स्थिति में निगम द्वारा पार्टी की विश्वसनीयता एवं सेवा को देखते हुए निर्णय लिया जायेगा।
20	निगम के कार्य के दौरान कोई दुर्घटना/जनहानि होती है उसके लिये निगम की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बीमा आदि से संबंधित सभी जिम्मेदारी टैक्सी कांट्रेक्टर की होगी।

21	किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (**Jurisdiction Area**) सिरसा रहेगा।
22	निविदा स्वीकृति दरें कार्य आदेश दिनांक एक साल तक की अवधि के लिए वैध रहेंगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में इसे दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से इस अनुबंध को आगामी एक साल के लिये बढ़ाया जा सकता है।
22	टैक्सी चालक के पास टैक्सी सम्बंधित सभी दस्तावेज होने अनिवार्य है।
23	निगम किसी भी कांट्रेक्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

टेण्डर फार्म में दर्शायी गई राशी दर एवं सलग्न नियम व शर्तो के साथ मै निगम के साथ कार्य करने हेतु सहमत हुँ।

हस्ताक्षर.....

ट्रैवल्स एजेन्सी का नाम/पता

...

.....

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, सिरसा

निविदा फॉर्म

टेण्डर संख्या.....

ट्रैवल्स एजेन्सी/टैक्सी मालिक का नाम एवं पता .....

..... दुरभाष एवं मोबाईल नंबर .....

क्रमांक	शहर से बाहर		लोकल			
			80 किलोमीटर हेतु/ 10 घंटे		10 घंटे के बाद प्रति घंटा दर	
	ए.सी.	**नॉन ए.सी.**	**ए.सी.**	**नॉन ए.सी.**	**ए.सी.**	**नॉन ए.सी.**
Swift Desirer/ Similar						
Inova/ Similar						
Breeza/ Similar						

रात्री विश्राम दर	रु.

ट्रैवल्स एजेन्सीयों के पंजीकृत गाडियों का विवरण :

गाडी मॉडेल	**रजिस्ट्रेशन नंबर**

टैक्सी मालिक का हस्ताक्षर
नाम एवं पता (मोहर सहित)
.....
.....